



# अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार





चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।


रजि.न.34300/80 संख्या 295 श्री विजयपुरम, बुधवार, 04 नवंबर 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए


# माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयोजित 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो, 2026' में चल रहा है वैकल्पिक ऊर्जा पर मंथन

## अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा भी समिट में शिरकत कर रहे हैं

# ''क्लीन एनर्जी राउंड टेबल'' बैठक में माननीय उप राज्यपाल ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सौर ऊर्जा के विस्तार एवं संभावनाओं पर प्रकाश डाला














नई दिल्ली, 3 नवम्बर।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में चार दिवसीय भारत नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कोविड–19 महामारी से लेकर पश्चिम एशिया संकट तक, कई अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया का संकट अब भी जारी है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि देश ने इन वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के बावजूद, भारत ने अपनी उच्च विकास दर को बनाए रखा है।

श्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक संकट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य स्वच्छ ऊर्जा में निहित है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मजबूती से काम कर रहा है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं असीमित हैं, और हर क्षेत्र तथा देश इससे लाभ उठा सकता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि सौर क्रांति का यह नया चरण केवल इसे अपनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नवाचार पर भी निर्भर करता है। श्री मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में 44 हजार से अधिक सरकारी इमारतों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है, जिससे सालाना लगभग सात सौ करोड़ रुपये की बचत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने हर सरकारी इमारत, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और स्ट्रीट–लाइटिंग सिस्टम को सौर ऊर्जा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री मोदी ने कहा कि देश भर के किसान भी 'पीएम–कुसुम' योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से 30 लाख से अधिक किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। श्री मोदी ने कहा कि अनुमानों के अनुसार, सौर ऊर्जा से संचालित पंपों का उपयोग करके किसान सालाना लगभग एक लाख रुपये की बचत कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने पिछले दशक में 15 लाख करोड़ रुपये से अधिका निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निवेश के अवसर वर्तमान दशक के आखिरी तक 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो, 2026' में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर अपने विचार साझा किए। यह आयोजन 2 नवंबर से 5 नवंबर, 2026 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत सहित दुनिया भर के दिग्गज वैकल्पिक ऊर्जा पर मंथन कर रहे हैं।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस समिट को एक बेहतरीन और सराहनीय कदम बताया।

समिट में अपने संबोधन में माननीय उप राज्यपाल ने इसे सराहनीय वैश्विक पहल बताते हुए कहा कि सौर ऊर्जा (सौर प्रणालियों के विस्तार), रिन्यूएबल एनर्जी और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में यह एक बेहद सराहनीय प्रयास है।

व समिट में दुनिया भर के प्रमुख औद्योगिक घराने, वैश्विक विशेषज्ञ, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल शामिल हुए हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा पर बड़ा मंथन कर रहे हैं।

उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन सत्र में दिए गए गहरे और सारगर्भित भाषण की प्रशंसा की।

माननीय उप राज्यपाल ने बताया कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि वे अपने यहाँ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को अधिकतम कैसे बढ़ा सकें।

माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने भारत मंडपम में माननीय केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, माननीय मुख्य मंत्रीगण एवं ऊर्जा विशेषज्ञों की ''क्लीन एनर्जी राउंड टेबल'' बैठक में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सौर ऊर्जा के विस्तार एवं संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

(स्रोत : न्यूज़ ऑन एयर/एक्स)

## मायाबंदर में लगा आयुष्मान आरोग्य शिविर

# टीबी की शीघ्र पहचान एवं समय पर उपचार के प्रति कर्मचारियों को किया गया जागरूक



मायाबंदर, 3 नवंबर।

गत 28 अक्टूबर को टीबी मुक्त कार्यस्थल पहल के शुभारंभ के अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में ज़िला टीबी केंद्र, डॉ. आर. पी. अस्पताल, मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान द्वारा वन विभाग, मायाबंदर में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम मायाबंदर के प्रभागीय वन अधिकारी श्री ए. सी. तिलक की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के बीच क्षय रोग (टीबी) के प्रति जागरूकता पैदा करना, रोग की शीघ्र पहचान को बढ़ावा देना तथा समय पर उपचार के लिए प्रोत्साहित करना था। चिकित्सा अधिकारी डॉ. रेखा धाली तथा ज़िला कार्यक्रम समन्वयक (राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम) श्री वाई. माधव राव ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को टीबी के लक्षणों, रोग की शीघ्र पहचान के महत्व तथा निःशुल्क जाँच एवं उपचार सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूक किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में कुल 65 लोगों ने भाग लिया। हाथ में लेकर उपयोग की जाने वाली एक्स–रे मशीन के माध्यम से 48 जोखिमग्रस्त व्यक्तियों की छाती का एक्स–रे परीक्षण किया गया। जाँच के दौरान 10 व्यक्तियों के एक्स–रे में असामान्य लक्षण पाए गए, जिन्हें आगे की जाँच एवं निदान के लिए बलगम परीक्षण कराने की सलाह दी गई।

# प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

## केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी संबंधित इकाइयों को तत्काल पंजीकरण कराने की दी सलाह

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के माध्यम से संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची–II के अंतर्गत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशा–निर्देश लागू किए हैं। इसका उद्देश्य प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था के कार्यान्वयन को सुगम बनाना है। इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के लिए संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता को पुनः स्पष्ट किया है।

तदनुसार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कार्यरत सभी संबंधित

शेष पृष्ठ 4 पर

# लघु सिंचाई विकास योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर।

कृषि विभाग द्वारा केंद्रशासित प्रदेश योजना के अंतर्गत अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 'लघु सिंचाई विकास' योजना लागू की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सिंचाई सुविधाओं एवं बुनियादी ढाँचे का विकास करके व्यक्तिगत किसानों तथा सहकारी कृषि समितियों को सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत ऋण–सह–अनुदान, श्रमदान–सह–अनुदान तथा नकद–सह–अनुदान सहायता प्रणाली के तहत निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऋण–सह–अनुदान के मामले में लाभार्थी अपने हिस्से की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी:

- तालाबों की खुदाई: न्यूनतम 0.50 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले वास्तविक व्यक्तिगत किसानों अथवा सहकारी कृषि समितियों को अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत या प्रति तालाब अधिकतम 1,50,000 रुपये, जो भी कम हो, प्रदान किए जाएँगे।
- आरसीसी रिंग कुएँ का निर्माण: भूमि के स्वामित्व की मात्रा की परवाह किए

शेष पृष्ठ 4 पर

# ज़िला कार्यालय में पॉश अधिनियम पर जागृति लाई गई



श्री विजयपुरम, 3 नवंबर। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) के संबंध में कल दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षिण अण्डमान की अपर ज़िला मजिस्ट्रेट सुश्री प्रियंका कुमारी ने की। इस अवसर पर 'राइट्स फॉर ऑल' (गैर–सरकारी संगठन) की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती रुबीना ख़ातिब सिद्दीक़ी ने विषय विशेषज्ञ के रूप में सत्र का संचालन किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम के दौरान सुश्री रुबीना सिद्दीक़ी ने एक जानकारीपूर्ण प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने पॉश अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, उद्देश्यों एवं महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समावेशी कार्य वातावरण तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, अपने अधिकारों एवं ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूकता तथा शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त (दक्षिण अण्डमान), सहायक आयुक्त (बंदोबस्त) तथा उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान के कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

# नेया कटाई हत्याकांड में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार

मायाबंदर, 3 नवंबर। 2 नवंबर, 2026 की रात उत्तर अण्डमान की डिगलीपुर थाना में नेया कटाई, राधा नगर में एक व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान के साथ अचेत अवस्था में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस की एक टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुँची और घायल व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राधा नगर ले गई, जहाँ उपस्थित चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस संबंध में डिगलीपुर थाना में अपराध संख्या 84/26, दिनांक 03.11.2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103/3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज़ किया गया।

जाँच के दौरान नेया कटाई, राधा नगर निवासी दो व्यक्तियों की इस घटना में संलिप्तता स्थापित हुई। जाँच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 4 नवम्बर, 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस दल की त्वरित कार्रवाई, समर्पण एवं पेशेवर प्रतिबद्धता ने मामले का शीघ्र पता लगाने तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घटना से संबंधित सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।

# नशामुक्त भारत अभियान के तहत 'डीब्राइट' में जागरूकता कार्यक्रम संचालित

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर। नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस के समन्वय से डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, तंबाकू सेवन एवं शराब की लत के हानिकारक प्रभावों, उनसे जुड़े कानूनी परिणामों तथा स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के महत्व के प्रति जागरूक करना था।



उप निरीक्षक सुश्री मसूमा बेगम के नेतृत्व में पुलिस दल ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया तथा नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम एवं इसके विरुद्ध संघर्ष में जागरूकता, बचाव और ज़िम्मेदारीपूर्ण निर्णय लेने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस की मादक पदार्थ रोधी समिति के सदस्य के रूप में अपना नाम दर्ज़ कराया।

## लघु सिंचाई विकास योजना के तहत ——————————पृष्ठ 1 का शेष

बिना वास्तविक व्यक्तिगत किसानों अथवा सहकारी कृषि समितियों को अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत या प्रति कुआँ अधिकतम 1,00,000 रुपये, जो भी कम हो, प्रदान किए जाएँगे।

- पंपसेट की खरीद (0.5 एचपी से 5.0 एचपी): भूमि के स्वामित्व की मात्रा की परवाह किए बिना वास्तविक व्यक्तिगत किसानों अथवा सहकारी कृषि समितियों को न्यूनतम 0.5 एचपी से अधिकतम 5.0 एचपी क्षमता वाले पंपसेट की खरीद लागत का 50 प्रतिशत या प्रति पंपसेट अधिकतम 10,000 रुपये, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएँगे।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंकलर) की स्थापना: न्यूनतम 0.05 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले वास्तविक व्यक्तिगत किसानों अथवा सहकारी कृषि समितियों को पंपसेट सहित प्रणाली की लागत का 75 प्रतिशत या प्रति हेक्टेयर 93,750 रुपये, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएँगे। इसके अतिरिक्त परिवहन पर 100 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा।

प्राप्त विज्ञप्ति में इच्छुक किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने निर्धारित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से प्राप्त भूमि अभिलेख की नवीनतम प्रति (मूल रूप में) अथवा राजपत्रित अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति, आधार कार्ड की प्रति, किसान के नाम से जारी बैंक खाते के विवरण की प्रति आदि शामिल हैं।

## प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए ——————————पृष्ठ 1 का शेष

प्रतिष्ठानों को सूचित किया गया है कि जहाँ लागू हो, निम्नलिखित श्रेणियों की इकाइयों के लिए सीपीसीबी द्वारा विकसित साझा ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है:

उत्पादक (पी): इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम भी शामिल हैं।

- आयातक (आई): प्लास्टिक पैकेजिंग एवं प्लास्टिक कच्चे माल के आयातक।
- ब्रांड स्वामी (बीओ): अपने ब्रांड के अंतर्गत उत्पादों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठान।
- निर्माता (एम): प्लास्टिक कच्चे माल तथा खाद योग्य या जैव–निम्नीकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के निर्माता।
- विक्रेता (एस): लागू प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले विक्रेता।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता (पीडब्ल्यूपी): पुनर्चक्रण, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट से तेल उत्पादन तथा औद्योगिक खाद निर्माण में संलग्न इकाइयाँ।

उपर्युक्त सभी प्रतिष्ठानों को बिना किसी विलंब के आवश्यक पंजीकरण प्राप्त करना होगा। जिन प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, वे पंजीकरण के बिना अपना व्यवसाय संचालित नहीं कर सकेंगे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पोर्टल पर लेन–देन आधारित रिपोर्टिंग व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने की घोषणा की है। अपंजीकृत इकाइयों से संबंधित खरीद एवं बिक्री के लेन–देन का विवरण दर्ज़ करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी। हालाँकि, जहाँ लागू हो, सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के ब्रांड स्वामियों तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं (पीडब्ल्यूपी) से संबंधित लेन–देन को इससे छूट दी गई है। अतः सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है:

1. जहाँ लागू हो, साझा ईपीआर पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण कराएँ।
2. सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक पैकेजिंग एवं प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित सभी लेन–देन लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हों तथा उनका विवरण पोर्टल पर विधिवत दर्ज़ किया जाए।
3. जहाँ लागू हो, अपने अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं एवं खरीदारों को आवश्यक पंजीकरण प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करें।
4. लागू विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्यों, लेन–देन रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं तथा वार्षिक विवरणी दाखिल करने के दायित्वों को पूरा करें।

इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

# कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अण्डमान क्लब का आवंटन

## कला एवं संस्कृति विभाग ने सभी संबंधितों से अग्रिम रूप से आवेदन जमा करने का किया आग्रह

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति निदेशालय ने अण्डमान क्लब में समारोहों अथवा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बुकिंग कराने के इच्छुक सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, सांस्कृतिक संगठनों एवं गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को कार्यालय आदेश संख्या 146, दिनांक 27.11.2017 के अनुसार, प्रस्तावित समारोह व कार्यक्रम की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अपने आवेदन जमा करने की सलाह दी है।

यह देखा गया है कि अक्सर कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से केवल एक या दो दिन पहले आवेदन जमा किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी से आवेदन के निपटान एवं स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब होता है। अतः सभी संबंधितों से अनुरोध किया गया है कि वे आवेदनों के समय पर निपटान एवं स्वीकृति की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अपने आवेदन पर्याप्त समय पूर्व जमा करें।

निदेशालय ने बुकिंग रद्द करने अथवा कार्यक्रम स्थगित करने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को भी दोहराया है:

1. पूर्व लिखित सूचना: बुकिंग रद्द करने अथवा कार्यक्रम स्थगित करने के संबंध में लिखित सूचना समारोह की निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले जमा करनी होगी। इसमें समारोह की तिथि शामिल नहीं होगी।
2. सूचना अवधि का पालन नहीं करने पर: निर्धारित सूचना अवधि का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में सुरक्षा राशि वापस नहीं की जाएगी।
3. समय पर सूचना देने पर राशि की वापसी: यदि बुकिंग रद्द करने अथवा कार्यक्रम स्थगित करने की लिखित सूचना निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त होती है, तो जमा की गई पूरी सुरक्षा राशि एवं अग्रिम किराया वापस कर दिया जाएगा।

सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, सांस्कृतिक संगठनों एवं गैर–सरकारी संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे अण्डमान क्लब के आवंटन हेतु आवेदनों के सुचारु एवं समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त निर्देशों तथा संबंधित कार्यालय आदेश में निर्धारित नियमों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करें।

ये निर्देश सभी संबंधितों की जानकारी एवं कड़ाई से अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं।

# स्वराज द्वीप में फोटोग्राफी एवं कैमरा संचालन पर प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू

स्वराज द्वीप, 3 नवंबर। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय फोटोग्राफी संस्थान (आईआईपी), नोएडा के सहयोग से आज स्वराज द्वीप में फोटोग्राफी एवं कैमरा संचालन पर आठ दिवसीय गहन प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया गया। यह पहल विश्व बैंक समर्थित 'सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने एवं गति प्रदान करने' (आरएएमपी) योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों (एमएसएमई) को सुदृढ़ बनाना है।

इस व्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कैमरा संचालन, व्यावसायिक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पोस्ट–प्रोडक्शन, ड्रोन इमेजिंग तथा अंडरवाटर एवं एस्ट्रो–फोटोग्राफी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आईआईपी, नोएडा के प्रतिष्ठित प्रशिक्षक श्री आसिफ खान एवं सुश्री गरिमा चौधरी स्वराज द्वीप के 68 उत्साही अभ्यर्थियों के समूह को उद्योग स्तर का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

प्रशिक्षण के पहले दिन कैमरा तकनीकों की बुनियादी जानकारी पर केंद्रित परिचयात्मक सत्र आयोजित किया गया। इसमें एक्सपोज़र ट्रायंगल के तीन प्रमुख घटकों–अपर्चर, शटर स्पीड एवं आईएसओ की कार्यप्रणाली, कैमरा संचालन की सुविधाजनक तकनीक तथा व्यावहारिक एक्सपोज़र मीटरिंग की जानकारी दी गई। विभिन्न परिवेशीय प्रकाश स्थितियों में कैमरे की कार्यप्रणाली को समझने पर विशेष ज़ोर दिया गया तथा शुरुआत से ही प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

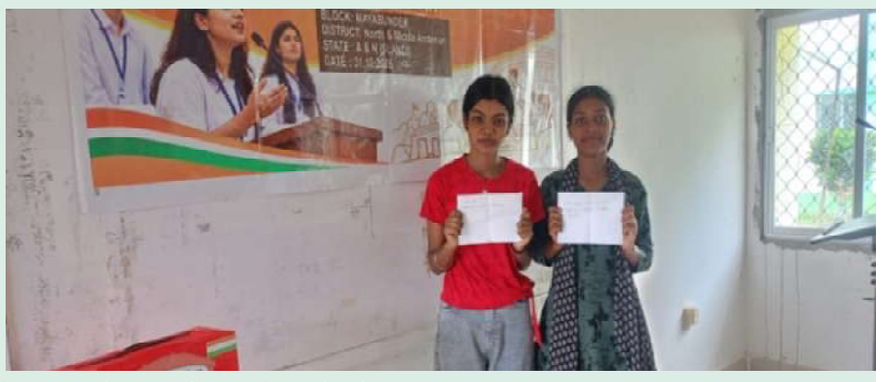



इस क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं की तकनीकी दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, ताकि वे व्यवहार्य उद्यम स्थापित कर सकें तथा औपचारिक एमएसएमई पंजीकरण के माध्यम से संगठित क्षेत्र से जुड़ सकें। यह पहल आरएएमपी योजना के उद्देश्यों के अनुरूप है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार स्थानीय प्रतिभाओं को व्यावसायिक उद्योग मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित करके यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि द्वीपों के प्रतिष्ठित प्राकृतिक स्थलों एवं समुद्री क्षेत्रों में अपनी यादगार यात्राओं को कैमरे में संजोने के लिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को प्रशिक्षित फोटोग्राफरों एवं वीडियोग्राफरों की सेवाएँ उपलब्ध हो सकें। पर्यटन विभाग द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का अगला संस्करण 12 नवंबर से शहीद द्वीप में भी आयोजित किया जाएगा।

# 'विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा' पर हुआ खंड स्तरीय युवा संसद

रंगत, 3 नवंबर। मेरा युवा भारत, रंगत, मध्य अण्डमान द्वारा 31 अक्टूबर को महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर के सम्मेलन कक्ष में 'विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा' विषय पर खंड स्तरीय पड़ोस युवा संसद–2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वी. आर. मूर्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को नशामुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।



मेरा युवा भारत के श्री पीटर बारला ने प्रतिभागियों को संगठन एवं उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। मेरा युवा भारत के ज़िला युवा अधिकारी श्री अतिश गोपिचंद खोब्रागड़े ने खंड स्तरीय पड़ोस युवा संसद के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम में प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों द्वारा चार जानकारीपूर्ण एवं संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों के लिए एक आकर्षक नारा लेखन गतिविधि भी आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने 'विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा' विषय पर उत्साहपूर्वक रचनात्मक एवं सार्थक नारे लिखे।

# दूरदर्शन केंद्र पर सीधा फोन–इन कार्यक्रम

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर। दूरदर्शन केंद्र, श्री विजयपुरम द्वारा कल (4 नवंबर) शाम 5.30 बजे से शाम 6 बजे तक 'पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड' शीर्षक से 'पालतू पशुओं में फंगल एवं किलनी संक्रमण–देखभाल एवं उपचार' विषय पर सीधा फोन–इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश कुमार स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। दर्शक इस सीधे फोन–इन कार्यक्रम में फोन नंबर 244745 अथवा 245662 पर संपर्क कर भाग ले सकते हैं।

दूरदर्शन
श्री विजयपुरम

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

# दीपावली पर्व के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी परामर्श–आम जनता एवं पटाखा दुकानदारों से अपील

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर।

आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ सभी द्वीपवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देती हैं तथा आम जनता से अपील करती हैं कि वे इस पर्व को हर्ष, उल्लास और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा के साथ मनाएँ।

दीपावली प्रकाश एवं उत्सव का पर्व है। तथापि, पटाखों का अनुचित रखरखाव एवं भंडारण, आतिशबाजी करते समय लापरवाही तथा पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव आग दुर्घटनाओं, चोटों एवं संपत्ति की क्षति का कारण बन सकता है। सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं दुर्घटनामुक्त दीपावली सुनिश्चित करने के लिए आम जनता के साथ–साथ आतिशबाजी की सामग्री रखने, भंडारण करने एवं बिक्री करने वाले सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा सावधानियों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है।

**क. आम जनता के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ**

**क्या करें:**

* केवल अधिकृत विक्रेताओं से गुणवत्तापूर्ण एवं विधिक रूप से अनुमोदित पटाखे खरीदें।
* पटाखे केवल खुले स्थानों, जैसे पार्क या बड़े मैदानों में, भवनों, वाहनों एवं ज्वलनशील पदार्थों से दूर जलाएँ।
* आकस्मिक आग से निपटने के लिए पानी एवं रेत से भरी बाल्टियाँ आसानी से उपलब्ध रखें।
* पटाखे जलाते समय सूती कपड़े पहनने को प्राथमिकता दें, क्योंकि कृत्रिम एवं ढीले कपड़ों में आसानी से आग लग सकती है।
* सुनिश्चित करें कि बच्चे केवल वयस्कों की निकट निगरानी में ही पटाखे जलाएँ।
* पटाखे जलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा जब तक पटाखे विशेष रूप से हाथ में पकड़कर जलाने के लिए निर्मित न हों, उन्हें हाथ में पकड़कर कभी न जलाएँ।
* इस्तेमाल किए गए पटाखों को फेंकने से पहले पानी में भिगोकर सुरक्षित तरीके से नष्ट करें।
* पटाखे जलाने से पहले हवा की दिशा जाँच लें, ताकि चिंगारियाँ आसपास के घरों, लोगों या ज्वलनशील पदार्थों तक न पहुँचें।

**क्या न करें:**

* घरों के अंदर, खिड़कियों, बालकनियों या सीमित स्थानों के निकट कभी भी पटाखे न जलाएँ।
* पटाखे जलाते समय ढीले या अत्यधिक ज्वलनशील कपड़े न पहनें।
* सूखी पत्तियों, गैस सिलेंडरों, ईंधन भंडारण क्षेत्रों, वाहनों या अन्य ज्वलनशील पदार्थों के निकट कभी भी पटाखे न जलाएँ।
* जो पटाखा नहीं फटा हो, उसे दोबारा जलाने का प्रयास न करें। कुछ समय प्रतीक्षा करें तथा उसे पानी में भिगोने के बाद सावधानीपूर्वक नष्ट करें।
* ऐसे स्थानों पर पटाखे न जलाएँ जहाँ वे प्रवेश द्वारों, निकास द्वारों या आपातकालीन निकासी मार्गों में बाधा उत्पन्न कर सकते हों।
* तेल के दीपक, मोमबत्तियाँ या दीये जलाकर कभी भी बिना निगरानी के न छोड़ें, विशेषकर पर्दों, फर्नीचर या अन्य ज्वलनशील पदार्थों के निकट।
* एक साथ या एक–दूसरे के बहुत निकट कई पटाखे जलाने से बचें।

किसी भी आग दुर्घटना, जलने की चोट या आपातकालीन स्थिति में तत्काल संबंधित आपातकालीन सेवाओं से सहायता प्राप्त करें तथा उचित चिकित्सा उपचार लें। असुरक्षित बचाव कार्य या अप्रमाणित घरेलू उपचारों का प्रयास न करें।

**ख. अस्थायी पटाखा दुकानों एवं विक्रेताओं के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ**

आतिशबाजी की सामग्री रखने, भंडारण करने एवं बिक्री करने वाले सभी व्यक्तियों को विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों, विशेषकर लागू होने वाले नियम 84 एवं 85 का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है। निम्नलिखित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएँ:

* आतिशबाजी की सामग्री केवल गैर–ज्वलनशील पदार्थों से निर्मित शेडों में रखी जाए। अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए ऐसे शेड उचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रखे जाएँ।
* प्रत्येक अस्थायी पटाखा दुकान दूसरी दुकान से कम से कम 3 मीटर तथा विस्फोटक नियम, 2008 में निर्दिष्ट संरक्षित स्थलों एवं अन्य स्थानों, जिनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सिनेमाघर, बाज़ार, कारखाने, पूजा स्थल, राजमार्ग, सार्वजनिक सड़कें एवं उच्च तनाव वाली विद्युत की ऊपरी तारें शामिल हैं, से कम से कम 50 मीटर दूर स्थित होनी चाहिए।
* अस्थायी पटाखा दुकानें एक–दूसरे के आमने–सामने नहीं होनी चाहिए।
* शेडों के अंदर या निर्धारित सुरक्षा दूरी के भीतर तेल के दीपक, गैस के दीपक या खुली आग की अनुमति नहीं होगी।
* जहाँ विद्युत प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, वहाँ बत्तियाँ दीवारों या छत पर स्थायी रूप से लगाई जाएँ तथा उन्हें लचीले तारों से लटकाया न जाए। स्विच दीवारों पर मजबूती से लगाए जाएँ तथा शेडों की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक मुख्य स्विच की व्यवस्था की जाए।
* किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी की सामग्री का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
* अस्थायी पटाखा दुकानों के एक समूह में दुकानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
* जिन दुकानों में अन्य सामान प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ पटाखों का भंडारण नहीं किया जाएगा। पटाखों को चिंगारीरोधी पात्रों या उनकी मूल बाहरी पैकेजिंग में रखा जाए।
* आतिशबाजी की सामग्री को नियमित दुकान के आवागमन वाले क्षेत्रों से अलग तथा ज्वलनशील या दहनशील पदार्थों से दूर रखा जाए।
* बिक्री के लिए खोले गए पटाखों को तत्काल स्वच्छ, धूलरहित एवं चिंगारीरोधी पात्रों में रखा जाए।

**ग. अग्निशमन व्यवस्था एवं प्रशिक्षण**

सभी अस्थायी पटाखा दुकानों एवं उनके आयोजकों को अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के परामर्श से पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सभी दुकानदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के उचित संचालन एवं उपयोग संबंधी बुनियादी प्रशिक्षण दिलाएँ तथा निकटतम अग्निशमन केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि आग की आपातकालीन स्थिति में वे तत्काल कार्रवाई करने में सक्षम हों।

अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ सभी द्वीपवासियों, दुकानदारों, आयोजकों एवं संबंधित अधिकारियों से सहयोग करने तथा निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील करती हैं।

आइए, आग दुर्घटनाओं को रोककर, जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करके तथा सभी के लिए सुरक्षित एवं खुशहाल दीपावली सुनिश्चित करके इस पर्व को ज़िम्मेदारीपूर्वक मनाएँ।

**सुरक्षित दीपावली ही खुशहाल दीपावली है!**

# राष्ट्रीय एकता दिवस : 'रन फॉर यूनिटी' एवं साइकिल रैली निकाली गई

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर।

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस–2026 समारोह के अंतर्गत खेल एवं युवा कार्य विभाग द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी), दक्षिण अण्डमान ज़िला परिषद तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से 31 अक्टूबर को 'रन फॉर यूनिटी' एवं साइकिल रैली का आयोजन किया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार 'रन फॉर यूनिटी' नेताजी स्टेडियम से प्रारंभ होकर कार्बाइंस कोव तक गई तथा वहाँ से वापस प्रारंभिक स्थल पर पहुँची। इस दौड़ में लगभग 500 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता, भाईचारे, एकजुटता एवं सौहार्द का संदेश फैलाने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री कर्मा टोप्पो तथा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के प्रशिक्षक श्री जस्टिन थॉमस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया।

इसी प्रकार, साइकिल रैली नेताजी स्टेडियम से प्रारंभ होकर कार्बाइंस कोव तक गई तथा वहाँ से वापस नेताजी स्टेडियम पहुँची। इस रैली में कुल 150 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें 50 साइकिल चालक एवं 100 खिलाड़ी शामिल थे। रैली के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश प्रसारित किया गया।

इस अवसर पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित एवं भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के रोइंग प्रशिक्षक श्री जेनिल कृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली का शुभारंभ किया।

# राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता 17 नवम्बर को

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस–2026 के अवसर पर 17 नवंबर को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का विषय 'स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी : सतत जीवनशैली की ओर एक कदम' रखा गया है। प्रतियोगिता प्रातः 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जागरूकता केंद्र, अटम पहाड़ रोड, डॉलीगंज में आयोजित होगी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी चित्रकला सामग्री स्वयं लाने की सलाह दी गई है। चित्र बनाने के लिए ड्राइंग शीट विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी एवं किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए इच्छुक विद्यार्थी कलाकार श्री पी. सेंथिल कुमार से मोबाइल नंबर 9474213985 पर संपर्क कर सकते हैं।

# जेएनआरएम केंद्र में 16 नवंबर से पांडि. विवि. की सेमेस्टर परीक्षाएं

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)/चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं जेएनआरएम केंद्र में 16 नवंबर, 2026 से आयोजित की जाएंगी। परीक्षा समय–सारणी से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://exam.pondiuni.edu.in/oasis/ugpg_tt.htm पर देखा जा सकता है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र 12 नवंबर से कार्यदिवसों में जारी किए जाएंगे। अधिक जानकारी एवं पूछताछ के लिए जेएनआरएम के परीक्षा अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।

# जेएनआरएम के राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर विभाग द्वारा 'रिफॉर्म उत्सव' के अंतर्गत विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर।



यहां के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) के राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर विभाग द्वारा रिफॉर्म उत्सव की पहल के अंतर्गत 2 नवंबर, 2026 को "संवैधानिक मूल्य, नागरिक उत्तरदायित्व एवं सुशासन" विषय पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा देना, नागरिक चेतना को सुदृढ़ करना तथा लोकतांत्रिक समाज में ज़िम्मेदार नागरिकता और जवाबदेह शासन के महत्व के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना था।

इस अवसर पर जेएनआरएम की प्राचार्या डॉ. पर्ल देवदास, टीजीसीई के विषय विशेषज्ञ डॉ. बिटिन ठाकुर तथा राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एस. के. बिस्वास उपस्थित रहे। एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एन. बालकृष्णन सहित अन्य संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. पर्ल देवदास ने इस बात पर बल दिया कि प्रभावी शासन चार मूलभूत स्तंभों अर्थात् पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व एवं सत्यनिष्ठा पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि जनविश्वास कायम रखने, संस्थागत कार्यकुशलता बढ़ाने तथा नैतिक प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ये सिद्धांत अत्यंत आवश्यक हैं।

विशेषज्ञ व्याख्यान देते हुए डॉ. बिटिन ठाकुर ने विषय के तीन परस्पर संबद्ध आयामों–संवैधानिक मूल्य, नागरिक उत्तरदायित्व एवं सुशासन पर विस्तार से प्रकाश डाला। संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज़ के रूप में नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक एवं सामाजिक व्यवस्था का मार्गदर्शन करने वाले मूलभूत ढाँचे के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने, नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करने तथा पारदर्शी, समावेशी एवं जवाबदेह शासन व्यवस्था के निर्माण में योगदान देने में नागरिकों की भूमिका को भी रेखांकित किया।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम का संचालन राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. दीपांकर डे ने किया, जबकि राजनीति विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ. महिमा जिंदल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

# हरित हाइड्रोजन से कार्बन कैप्चर तक नई तकनीक विकसित करेंगा आईआईटी गुवाहाटी

गुवाहाटी, 03 नवंबर (हि.स.)।




स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपने पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा उद्योग को अत्याधुनिक अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है।

दरअसल, इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, कार्बन कैप्चर, पेट्रोकेमिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में देश की अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करना है। इस साझेदारी के माध्यम से उद्योग की वास्तविक चुनौतियों पर पीएचडी शोध से लेकर प्रायोजित अनुसंधान, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, परीक्षण सुविधाओं के विकास और नई तकनीकों के व्यावसायीकरण तक का व्यापक तंत्र तैयार किया जाएगा।

खास बात यह है कि संयुक्त अनुसंधान के लिए चयनित पीएचडी शोधार्थियों को प्रचलित सीएसआईआर, यूजीसी–नेट और संस्थागत दरों से 25 प्रतिशत अधिक फैलोशिप मिलेगी। यह पहल ऐसे वक्त में हुई है, जब भारत के सामने एक ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरी करने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ ईंधन, कार्बन उत्सर्जन में कमी और नेट जीरो के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

इस साझेदारी के जरिये देश के उच्च शिक्षण संस्थान और ऊर्जा उद्योग के विशेषज्ञ एक साथ अनुसंधान करेंगे। इससे प्रयोगशालाओं में विकसित होने वाली तकनीकों को औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप तैयार करने और उनके व्यावहारिक उपयोग का रास्ता खुलेगा।

इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीएचटी–आईआईटीजी अनुसंधान फैलोशिप कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम तीन पीएचडी शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। एक समय में इस कार्यक्रम के तहत अधिकतम दस शोधार्थियों को फैलोशिप प्रदान की जा सकेगी। इस व्यवस्था की खासियत यह होगी कि शोधार्थियों को अकादमिक और औद्योगिक, दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रत्येक शोधार्थी के लिए आईआईटी गुवाहाटी का एक संकाय सदस्य पर्यवेक्षक होगा, जबकि सीएचटी या उसके द्वारा नामित उद्योग भागीदार का विशेषज्ञ सह–पर्यवेक्षक अथवा मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। साथ ही चार साल तक विशेष फैलोशिप मिलेगी।

# भारत ने सोमालिया के तट के पास समुद्री लुटेरों से अपहृत जहाज 'अजिनी' छुड़ाया

नई दिल्ली, 03 नवम्बर (हि.स.)।

भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट के पास 48 घंटे से अधिक समय तक चले ऑपरेशन में कमांडो कार्रवाई करके सशस्त्र समुद्री लुटेरों के कब्जे से मछली पकड़ने वाले अपहृत जहाज 'अजिनी' को मुक्त कराया है। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 20 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया और ऑपरेशन के दौरान किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

दरअसल, पिछले महीने की शुरुआत में सोमालिया के उत्तर–पूर्वी तट के पास सशस्त्र समुद्री लुटेरों के एक समूह ने नौसेना को मछली पकड़ने वाले जहाज 'अजिनी' का अपहरण कर लिया था। यह हाईजैकिंग बड़ा समुद्री सुरक्षा खतरा था, जिसमें इस बात की संभावना थी कि इस जहाज का इस्तेमाल इस इलाके में मर्चेंट शिपिंग पर और समुद्री डाकुओं के हमले करने के लिए 'मदर शिप' के तौर पर किया जा सकता है। इसकी सूचना मिलने पर भारतीय नौसेना ने मिशन पर तैनात एक युद्धपोत को कार्रवाई के लिए तत्काल रवाना किया। इसमें एक समुद्री निगरानी विमान का भी सहयोग लिया गया।

# इतिहास के पन्नों में 04 नवंबर: मेजर सोमनाथ शर्मा–देश के पहले परमवीर चक्र विजेता की शौर्यगाथा

नई दिल्ली, 03 नवम्बर (हि.स.)।




भारतीय सेना के इतिहास में मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक के रूप में दर्ज है। वह स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। उन्हें नवंबर 1947 में कश्मीर के बडगाम क्षेत्र में पाकिस्तानी कबायलियों और घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई में दिखाई गई असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान से नवाजा गया था। वर्ष 1947 में भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कबायली हमलावर श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे संकटपूर्ण समय में मेजर सोमनाथ शर्मा की अगुवाई वाली कंपनी को बडगाम क्षेत्र में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई। तीन नवंबर 1947 को उनकी टुकड़ी को बड़ी संख्या में हमलावरों ने घेर लिया। सैनिकों की संख्या और हथियारों के लिहाज से स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन मेजर शर्मा ने पीछे हटने के बजाय मोर्चे पर डटे रहने का फैसला किया।

युद्ध के दौरान उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, इसके बावजूद वह अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे। उन्होंने मशीनगन से दुश्मन पर जवाबी हमला करने के साथ सैनिकों का हौसला भी बनाए रखा। उनकी टुकड़ी ने दुश्मन की बढ़त को काफी देर तक रोके रखा। इस प्रतिरोध से भारतीय सेना को श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा मजबूत करने और अतिरिक्त सैनिकों को पहुंचाने का महत्वपूर्ण समय मिला। मुठभेड़ के दौरान मोर्टार का एक गोला उनके पास आकर फटा और मेजर शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए। उनका बलिदान भारतीय सेना के इतिहास में साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण की मिसाल बन गया। उनकी असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए उन्हें 21 जून 1950 को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1509 – अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में दूसरे पुर्तग़ाली वायसराय बने।
1619 – फ्रेडरिक पंचम यूरोपीय देश बोहेमिया के राजा बने।
1822 – दिल्ली में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ।
1856 – जेम्स बुकानन अमेरिका के 15वें राष्ट्रपति बने।
1875 – अमेरिका के बोस्टन में मैसाचुसेट्स राइफल एसोसिएशन की स्थापना हुयी।
1911 – अफ्रीकी देश मोरक्को और कांगो को लेकर फ्रांस तथा जर्मनी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर।
1956 – हंगरी में बगावत को कुचलने के लिए सोवियत सेनाएं वहां पहुंची।
1979 – ईरान में बंधक संकट की शुरुआत। तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान के उग्रवादियों ने हमला कर वहां मौजूद लोगों को बंधक बनाया। बहुत से लोगों को एक वर्ष से अधिक समय तक बंधक रखा गया।
1980 – हॉलीवुड के पूर्व अभिनेता और कैलिफोर्निया के गवर्नर रोनाल्ड रीगन ने जिमी कार्टर को बड़े अंतर से हराकर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीता।
1984–ओ बी अग्रवाल एमेच्योर स्नूकर के विश्व चैंपियन बने।
1997 – सियाचीन बेस कैम्प में सेना की आफ़ सिग्नल ने विश्व का सर्वाधिक ऊँचा एस.टी.डी. बूथ स्थापित किया।

**अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन**
**सचिवालय**

श्री विजय पुरम, दिनांक 02 नवम्बर, 2026

## अधिसूचना

संख्या 280/2026/फा. सं. 34–725/2026–राजस्व., चूँकि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) (जिसे इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उप–धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 06.11.2025 की अधिसूचना सं. 88/2025/फा. सं. 34–725/2021–राजस्व के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी, जो दिनांक 06.11.2025 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र, असाधारण, सं. 93 में प्रकाशित हुई थी। उक्त अधिसूचना निकोबार जिला के कैम्पबेल बे तहसील के गांधी नगर एवं शास्त्री नगर गाँवों में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् ग्रेट निकोबार द्वीप में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए 834.6437 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु जारी की गई थी (जिसे इसके पश्चात् "उक्त प्रारंभिक अधिसूचना" कहा गया है);

और, चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (7) में यह प्रावधान है कि यदि प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से बारह माह के भीतर उक्त धारा की उप–धारा (1) के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो ऐसी अधिसूचना को निरस्त माना जाएगा तथा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के संबंध में बारह माह की उक्त अवधि 5 नवम्बर, 2026 को समाप्त हो रही है।

और, चूँकि, पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन प्रशासक ने उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (6) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट दिनांक 25 जून, 2026 को प्रस्तुत कर दी है, तथापि, धारा 19 की उप–धारा (1) के अंतर्गत घोषणा प्रकाशित किए जाने से पूर्व निम्नलिखित अपेक्षित कार्यवाहियाँ अभी पूरी की जानी शेष हैं;

(क) धारा 17 की उप–धारा (1) के अंतर्गत परियोजना–स्तरीय पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन समिति द्वारा पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन स्कीम के प्रारूप की समीक्षा;

(ख) धारा 17 की उप–धारा (2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन आयुक्त द्वारा स्कीम का अनुमोदन;

(ग) धारा 18 के अंतर्गत अनुमोदित योजना का प्रकाशन; एवं

(घ) धारा 19 की उप–धारा (2) के अंतर्गत अपेक्षित निकाय द्वारा निर्धारित राशि जमा किया जाना;

और, चूँकि, समुचित सरकार का यह मत है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो उक्त अवधि के विस्तार को न्यायोचित ठहराती हैं, अर्थात :

i. भूमि अधिग्रहण एक सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना है तथा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन अभी भी विद्यमान है;

ii. सांविधिक पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है, परन्तु धारा 17 और 18 के अंतर्गत अनिवार्य समीक्षा, अनुमोदन एवं प्रकाशन संबंधी कार्यवाहियाँ पूरी की जानी आवश्यक हैं, ताकि धारा 19 की उप–धारा (1) के अंतर्गत विधिक रूप से मान्य घोषणा की जा सके;

iii. पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन स्कीम की लागत एवं कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताओं, जिनमें तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आवास एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएँ सहित, को अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है, जिसके पश्चात् अपेक्षित निकाय द्वारा धारा 19 की उप–धारा (2) के अंतर्गत राशि जमा की जानी है; तथा

iv. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के व्यपगत होने से अब तक पूरी की गई सांविधिक कार्यवाही निष्फल हो जाएगी तथा भूमि अर्जन की प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ करनी पड़ेगी, जबकि अवधि के विस्तार से प्रभावित परिवारों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी सुरक्षा उपाय को सीमित किए बिना शेष अनिवार्य कार्यवाहियाँ पूरी की जा सकेंगी;

अतः अब, गृह मंत्रालय के दिनांक 23.06.2017 की अधिसूचना सं. 1997(E) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (7) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, एतद्वारा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (1) के अंतर्गत घोषणा किए जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (7) में विनिर्दिष्ट बारह माह की अवधि को और बारह माह के लिए, अर्थात् 6 नवम्बर, 2026 से 5 नवम्बर, 2027 तक (दोनों तिथियों सहित), बढ़ाते हैं।

1. उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (7) के तृतीय परंतुक के अनुपालन में फाइल सं. 34–725/2021–राजस्व में लिखित रूप में अभिलिखित इस निर्णय को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन और निकोबार जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना की कोई भी बात, उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित भूमि के विस्तार, विवरण, सीमाओं अथवा सार्वजनिक प्रयोजन या उसमें उल्लिखित किसी अन्य विशिष्ट विवरण में परिवर्तन करने वाला नहीं माना जाएगा।

3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

**उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह**
**के आदेश से तथा उनके नाम पर**
ह./–
**सहायक सचिव (राजस्व)**

## प्रेस विज्ञप्ति

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण एवं वन विभाग के दक्षिण अण्डमान जिले के अंतर्गत वर्ग 'ग 'के औद्योगिक पद **'मजदूर'** तथा अन्य वर्ग 'ग' के गैर–मंत्रालयी पदों (**राफ्टमैन, ग्रेडर, सहायक सॉयर, बेल्टमैन, ऑयलर, टिम्बर रिकॉर्डर, टैलीमैन एवं ग्राइंडर**) पर भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) के प्रवेश पत्र अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आधिकारिक भर्ती पोर्टल https://@erecruitment.andamannicobar.gov.in/ पर दिनांक 02/11/2026 को अपराह्न 3.30 बजे से 26/12/2026 को प्रातः 5.30 बजे तक डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे।

**नोट:** अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) में उपस्थित होते समय कम से कम एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कॉलेज/विश्वविद्यालय पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड की मूल प्रति तथा वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की रंगीन प्रिंट प्रति अनिवार्य रूप से साथ लानी होगी।

मोबाइल फोन में उपलब्ध पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति/स्कैन की गई प्रति मान्य नहीं होगी। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोडल अधिकारी (भर्ती)
दक्षिण अण्डमान जिला
प्रभागीय वन अधिकारी, दक्षिण अण्डमान

## वॉक–इन इंटरव्यू

भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, गाराचरामा, श्री विजयपुरम में निम्नलिखित पदों पर पूर्णतः संविदा आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 17.11.2026 को प्रत्यक्ष साक्षात्कार (वॉक–इन इंटरव्यू) आयोजित किया जाएगा:

1. **प्रशिक्षु (Trainee) – 01 पद**, AICRP on Goat के अंतर्गत।

आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं, पात्रता मानदंडों, नियम एवं शर्तों तथा अन्य संबंधित जानकारी का विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाइट (www.ciari.re.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 17.11.2026 को प्रातः 10:00 बजे प्रत्यक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन अनुभाग, भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकते हैं।

**प्रशासनिक अधिकारी**
भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान

## सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती फातिमा, पुत्री श्री के. मरकार, निवासी विम्बर्लीगंज गाँव, तहसील फरारगंज, जिला दक्षिण अण्डमान, सहायक आयुक्त द्वारा दिनांक 26.05.1988 को श्रीमती फातिमा, पुत्री श्री के. मरकार, निवासी विम्बर्लीगंज गाँव, तहसील फरारगंज, जिला दक्षिण अण्डमान के नाम पर जारी किए गए अपने मूल लैमिनेटेड लाइसेंस के आधार पर सर्वेक्षण संख्या 620, क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, स्थित विम्बर्लीगंज गाँव, तहसील फरारगंज, जिला दक्षिण अण्डमान की भूमि पर बंधक के माध्यम से भार सृजित करने का इरादा रखती हूँ, ताकि भारतीय स्टेट बैंक, श्री विजय पुरम शाखा, शाखा कोड संख्या SBIN0064207 से ऋण/क्रेडिट सुविधा प्राप्त की जा सके। यदि किसी भी पक्ष का उक्त संपत्ति के संबंध में कोई दावा हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर मेरे समक्ष तथा भारतीय स्टेट बैंक की उपयुक्त शाखा में प्रस्तुत किया जाए।

श्रीमती फातिमा, पुत्री श्री के. मरकार
निवासी विम्बर्लीगंज गाँव, तहसील फरारगंज, जिला दक्षिण अण्डमान
मोबाइल नंबर: 9933297167

## ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, फरारगंज की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2026–27/166

कार्य का नाम : फरारगंज ग्राम पंचायत के अंर्तगत कैडलगंज 01 में एटीआर से कासिलिंगम के घर तक सी सी फुटपाथ का नवीनीकरण।

अनुमानित लागत : रु. 7,01,416/–, धरोहर राशि : रु. 14,028/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (03) तीन माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 09/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25591_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

## ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, श्याम नगर, स्वराज द्वीप की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2026–27/158

कार्य का नाम : स्वराज द्वीप, श्याम नगर ग्राम पंचायत के अंर्तगत राधा नगर रांची बस्ती में मुख्य सड़क से श्री. अजीत खालको के घर से होते हुए श्री. पी. वासुदेव, श्री. प्रदीप घोप, श्रीमती. वेलेरिया मिंज, श्री. फागुनी भगवार, गुजू राम, श्री. जुएल धनवार के घर तक सी सी फुटपात का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 7,32,367/–, धरोहर राशि : रु. 14,647/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (03) तीन माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 09/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25578_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

## 'वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान' की शुरूआत आज

नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार बुधवार को दिल्ली में अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान की आधिकारिक शुरुआत करेंगे। यह अभियान पीढ़ियों के बीच एकता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का एक देशव्यापी सामाजिक आंदोलन है। भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की आबादी 2011 में 10 करोड़ थी, जिसके 2036 तक 23 करोड़ होने का अनुमान है। इस जनसांख्यिकीय बदलाव को देखते हुए यह अभियान बुजुर्गों को समाज के एक सक्रिय और सम्मानित हिस्से के रूप में स्थापित करेगा।

# दवा, मेडिकल उपकरण और कॉस्मेटिक्स आयात के लिए नए प्रवेश केंद्रों को मंजूरी का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 03 नवम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने देश में दवा, चिकित्सा उपकरण और कॉस्मेटिक्स के आयात को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को ड्रग्स नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत स्वास्थ्य उत्पादों के आयात और क्लीयरेंस के लिए अधिकृत प्रवेश केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।




प्रस्तावित संशोधन में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में अतिरिक्त इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अधिकृत आयात केंद्रों की सूची में शामिल करने की योजना है। प्रस्ताव के तहत हरियाणा में आईसीडी सोनीपत, पियाला और हरसारू, उत्तर प्रदेश में आईसीडी दादरी, गुजरात में आईसीडी गांधीधाम/मुंद्रा, तेलंगाना में हैदराबाद के आईसीडी सनथ नगर और थिम्मापुर, कर्नाटक में बेंगलुरु के आईसीडी व्हाइटफील्ड तथा एसईजेड बोम्मासंद्रा को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को हवाई मार्ग से दवाओं के आयात के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव है।

ये केंद्र पहले से अधिसूचित आयात केंद्रों के नेटवर्क में शामिल होंगे। मौजूदा सूची में मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित धन्नड़ और तिही के आईसीडी तथा पहले से अधिसूचित हवाई अड्डे शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार, नए आयात केंद्रों को शामिल करने से आयातकों को अपने माल की क्लीयरेंस विनिर्माण इकाइयों, गोदामों और वितरण केंद्रों के नजदीक कराने में मदद मिलेगी। इससे देश के भीतर माल के परिवहन की दूरी कम होगी, लॉजिस्टिक्स लागत का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और आयातित खेपों की आवाजाही में होने वाली देरी कम होने की उम्मीद है।

इस कदम से दवाओं, मेडिकल उपकरणों और कॉस्मेटिक्स की आपूर्ति व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। साथ ही, आयातकों को परिचालन संबंधी सुविधा मिलेगी और देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य उत्पादों की उपलब्धता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य स्वास्थ्य उत्पादों के आयात से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देना और अधिक कुशल एवं जवाबदेह आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है। इससे आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर आम लोगों, संबंधित पक्षों और हितधारकों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए हैं।

# ई–फाइलिंग 3.0' पर आज होगी राष्ट्रीय कार्यशाला, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री होंगे शामिल

नई दिल्ली, 03 नवम्बर (हि.स.)। अदालती कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल और कागज–रहित बनाने की दिशा में, ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग बुधवार को 'ई–फाइलिंग 3.0: प्रक्रिया से व्यवहार तक' विषय पर एक अहम कार्यशाला का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय की ई–समिति के सदस्यों भी मौजूद रहेंगे।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को 'ई–फाइलिंग 3.0' प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली और बारीकियों से अवगत कराना है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में ई–कोर्ट के संचालन, ई–कोर्ट सिंगल साइन–ऑन (एसएसओ), ई–कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप और ई–फाइलिंग 3.0 की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही, सरकारी अधिवक्ताओं और विभागों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को लेकर अधिकारियों के साथ एक खुली चर्चा भी होगी।

उल्लेखनीय है कि ई–कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों को शुरू से अंत तक डिजिटल बनाना और नागरिकों को सुलभ ई–सेवाएं उपलब्ध कराना है। देश की अदालतों में होने वाली मुकदमेबाजी में सरकारी मंत्रालयों, विभागों, पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) और स्वायत्त निकायों की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में इन विभागों द्वारा ई–फाइलिंग को अपनाए जाने से न केवल कार्यक्षमता में भारी सुधार होगा, बल्कि अदालतों की भौतिक कागजी प्रक्रियाओं पर निर्भरता भी काफी कम हो जाएगी।

# दूरसंचार इंटरकनेक्शन नियमों में तीसरा संशोधन आगामी एक जनवरी से प्रभावी

नई दिल्ली, 03 नवम्बर (हि.स.)। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026' जारी किया। ये नए नियम एक जनवरी 2027 से लागू होंगे। संशोधन के तहत दूरसंचार नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी की व्यवस्था को आधुनिक बनाने, आईपी आधारित इंटरकनेक्शन को बढ़ावा देने और सेवा प्रदाताओं के बीच यातायात के आदान–प्रदान को अधिक प्रभावी बनाने के प्रावधान किए गए हैं।

ट्राई के अनुसार दूरसंचार इंटरकनेक्शन के तहत दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्क को तकनीकी, परिचालन और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के माध्यम से जोड़ा जाता है। इससे अलग–अलग सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ता एक–दूसरे से निर्बाध रूप से संपर्क कर पाते हैं। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(बी) के तहत प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन की शर्तें निर्धारित करने और तकनीकी अनुकूलता सुनिश्चित करने का अधिकार है।

मौजूदा नियमों की समीक्षा के लिए ट्राई ने 3 अप्रैल 2025 को पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया था। इसके बाद 10 नवंबर 2025 को परामर्श पत्र जारी कर हितधारकों से सुझाव मांगे गए। इस प्रक्रिया में 17 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियां और नौ ने उन पर जवाबी टिप्पणियां दीं। परामर्श प्रक्रिया के तहत 28 जनवरी 2026 को खुली चर्चा भी आयोजित की गई। प्राप्त सुझावों और उनके विश्लेषण के आधार पर नए संशोधन नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। संशोधन के तहत अब सेवा प्रदाता आपसी सहमति से दूरसंचार यातायात के आदान–प्रदान के स्थान तय कर सकेंगे। मौजूदा व्यवस्था में लंबी दूरी के चार्जिंग क्षेत्र (एलडीसीए) और छोटी दूरी के चार्जिंग क्षेत्र (एसडीसीए) के स्तर पर इंटरकनेक्शन होता है। इसे चरणबद्ध तरीके से लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के स्तर पर स्थानांतरित किया जाएगा। इससे नेटवर्क रूटिंग सरल होगी, विलंबता कम होगी और सेवा की विश्वसनीयता बढ़ेगी। एलडीसीए और एसडीसीए स्तर के इंटरकनेक्शन बिंदुओं पर मौजूद यातायात को तीन साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से एलएसए स्तर पर स्थानांतरित करना होगा।

# वर्ल्ड जेलीफिश डे: ना दिल ना दिमाग ना हड्डी, उम्र में डायनासौर से ज्यादा पुरानी

नई दिल्ली, 03 नवम्बर। ये मछली छाते की तरह या मशरूम की तरह नजर आती है, इसके पास ना आंखें होती हैं और दिल और ना ही दिमाग लेकिन इसकी प्रजनन क्षमता गजब की है. दुनिया में एक तरह से ये सबसे पुराने प्राणियों में हैं, तब से जब धरती पर डायनासौर हुआ करते थे. वैज्ञानिक मानते हैं कि वो धरती पर 5000 लाख साल से हैं.

जेलीफिश की बॉडी संरचना काफी जटिल होती है. कई सालों तक तो वैज्ञानिकों के लिए वो अबूझ पहेली बनी रहीं कि उनको वो किस कैटेगरी में रखें. उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और शरीर में जो अंग होने चाहिए, वो भी उनमें नहीं होते. हैरानी अब भी बनी रहती है कि उन्हें क्यों फिश कहा जाता है.

जेलीफिश को जिंदा रहने बहुत कम आक्सीजन की जरूरत होती है, वो खुद को किसी भी तरह के पानी में रख सकती हैं. उनकी प्रजनन क्षमता जबरदस्त होती है. इसलिए वो बहुत तेजी से दूसरी फिश पैदा करती हैं. 2478 जेलीफिश को नासा एक प्रयोग के लिए अंतरिक्ष में लेकर गया. तब ये नोटिस किया गया कि एक्सपेरिमेंट के अंत तक उनकी संख्या तेजी से बढ़ी और 60000 तक पहुंच गई.

कहा जाता है कि वो इतने सालों से पृथ्वी पर इसलिए खुद को बरकरार रख पाई, क्योंकि उसके अंदर क्लायमेट चेंज के साथ तालमेल रखकर जीवित बने रहने की गजब की क्षमता है. जबकि इसके उलट समुद्र के ज्यादातर प्राणियों में चेंज के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता बहुत कम होती है. चार्ल्स डार्विन उनकी इसी क्षमता के लिए उनके सबसे बड़े प्रशंसक थे.

जेलीफिश के शरीर में 98 फीसदी पानी होता है जबकि इसके उलट मानवीय शरीर में 60 फीसदी पानी होता है. कुछ जेलीफिश के बारे में कहा जाता है कि वो जीवन का वरदान लेकर आई हैं. हमेशा जिंदा रहेंगी. वर्ष 2005 में




वैज्ञानिकों को अध्ययन में 505 मिलियन वर्ष पुराना जेलीफिश का जीवाश्म मिला. उसमें कोई हड्डी नहीं होती.

वैसे तकनीक तौर पर देखें तो जेलीफिश इन्वर्टब्रट हैं, यानि समुद्री कीट. उनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती. जबकी किसी भी मछली में बैकबोन जरूर होती है लिहाजा तकनीक तौर पर जेलीफिश वास्तव फिश नहीं हैं बेशक उनके नाम के साथ फिश जुड़ा हो. ये सारी दुनिया में पाई जाती हैं. ये ऊपरी सतह पर भी मिल सकती हैं और नीचे सबसे ज्यादा गहराई में भी.

ये आकर्षण रंगों वाली होती हैं. दुनिया की कुछ संस्कृतियों में लोग इसे खाते भी हैं. आस्ट्रेलियाई रिसर्चर्स का कहना है कि वो परफेक्ट फूड होती है. उनमें पर्याप्त प्रोटीन होता है तो एनर्जी में कुछ कम.

आकार प्रकार में भी इनके बहुत विविधता होती है. ये एक मिलीमीटर की घंटी की तरह हो सकती हैं तो घंटी की तरह दिखने वाली 02 मीटर लंबी और गोलाई लिए हुए. इसमें कुछ इतनी छोटी भी होती हैं कि नंगी आंखों से नहीं दिखेंगी उसके लिए लैंस या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. लायन जेलीफिश 36.5 मीटर लंबी होती है. इन्हें दुनिया का सबसे लंबा जानवर कहा जाता है.